4 (3)

समक्ष : माननीय म0प्र0 राज्य प्रशासनिक अधिकरण रायपुर.

(O.A.(S) 3115/05)

डॉ0 इन्दिरा चेलानी पत्नी डॉ0 एस.के. चेलानी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन तथा अन्य.

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 19 के अन्तर्गत

आवेदन- पत्र ।

1/ आवेदिका का नाम तथा पता :

डॉ0 इन्दिरा चेलानी पत्नी डॉ0 एस.के. चेलानी
पूर्व स्त्री रोग विशेषज्ञ
जिला चिकित्सालय, राजनांदगांव
स्ट्रीट नं. 1, लालबाग
राजनांदगांव (म.प्र.)

2/ प्रत्यर्थी का विवरण :

1. मध्यप्रदेश शासन
   द्वारा : सचिव,
   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
   मध्यप्रदेश शासन
   भोपाल (म.प्र.)

2. प्रमुख चिकित्सक सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   जिला चिकित्सालय,
   राजनांदगांव (म.प्र.)

Reclaim

3/ आदेश जिसे चुनौती दी जा रही है :

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेन्शन) नियम 1976 के नियम 42 उपनियम (1)(ए) के प्रावधान अनुसार सेवानिवृत्ति पश्चात पारिणामिक हितलाभ, पेंशन राशि का भुगतान न करने बाबत् ।

4/ ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार :

आवेदिका घोषित करती है कि जिस नियम का पालन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसकी विषय वस्तु माननीय ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार में है ।

2...

(47)

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक W.P.(S)3115/05 सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	15-2-2006 None for the petitioner/s. Shri Vivek Sharma, P.L., for the State. An application for withdrawal of the petition has been filed on behalf of the petitioners. Not opposed. The application is allowed. Accordingly, the petition stands disposed of as withdrawn with liberty to file afresh in case such an eventuality arises. Sd/- Fakhruddin Judge G/-	

(पीछे देखिये